N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0178 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 23/08/2024 18:59 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 20/08/2024 **Date To (दिनांक तक):** 22/08/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 17:00 बजे **Time To (समय तक):** 10:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/08/2024 **Time (समय):** 14:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 23/08/2024 18:59:03 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 70 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** Shahid Bhanwarsingh Board, Balesar kasba Dist.Jodhpur

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** Kanwarlal
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** SHANKAR RAM
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1988 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	**Address Type (पता का प्रकार)**	**Address (पता)**
1	वर्तमान पता	168, Shahid Meghsingh Nagar, Gopalsar, Balesar, BALESAR, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	168, Shahid Meghsingh Nagar, Gopalsar, Balesar, BALESAR, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Alias (उपनाम)**	**Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)**	**Address (पता)**
1	Vachnaram		पिता:Vagaram	1. Parmar ki Dhani Bhinmal,Bhinmal,JALORE,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	**Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)**	**Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)**	**Description (विवरण)**	**Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))**
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर विषयः- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाने बाबत। महोदय निवेदन है कि मैं कंवरलाल पुत्र श्री शंकरराम जाति मेघवाल 168, शहीद मेघसिह नगर गोपालसर तहसील बालेसर जिला जोधपुर में निवास करता हूं मै बालेसर में ई-मित्र संचालक हूं। ई मित्र संचालक के लिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी इसलिए मैनें चरित्र प्रमाण पत्र बनवानें हेतु आवेदन किया था। थाना बालेसर के हैड कास्टेबल वचनाराम का मेरे पास फोन आया और बोला कि मै चरित्र प्रमाण पत्र जारी करवा दूंगा इसकी एवज में मुझे 5000 रूपयें देने पडेगे। फिर मैन जब कहा 5000 रूपयें मेरे लिए बहुत ज्यादा है इतनें रूपये नही दे पाउगा तो उसने कहा कि कम से कम 2000 रूपयें देनें पडेगे नही तो काम नही होगा, इस प्रकार वह मेरा चरित्र प्रमाण पत्र जारी करनें के लिए 2000 रूपयें मांग रहा है। मै मेरे जायज काम के लिए वचनाराम को रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं बल्कि उसकों रिश्वत लेतें हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी हैड कानिस्टेबल वचनाराम से न कोई पुरानी रंजिश है और न ही कोई पुराना लेन देन बकाया है। कृपया करके कानूनी कार्यवाही करनें की कृपा करे। दिनांक 20.08.2024 भवदीय एसडी कंवरलाल मो.
कार्यवाही पुलिस दिनांक 20.08.2024 समय 5 पी.एम. उपरोक्त हस्तलिखित रिपोर्ट श्री कंवरलाल पुत्र श्री शंकरराम जाति मेघवाल निवासी 168, शहीद मेघंसिह नगर, गोपालसर तहसील बालेसर नें आज दिनांक 20/08/2024 कों समय 5 पी. एम. पर कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर मे उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश की। मजमून रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में पाया जाने पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। एसडी कंवरलाल एसडी एसडी एसडी एसडी चक्रवर्ती सिह राठौड नवीन शेखावत महिपालसिंह राठौड मनीष वैष्णव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 22/8/24 22/08/24 22/08/24 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर (राज.) कार्यवाही पुलिस दिनांक 20.08.2024 समय 05.00 पी.एम. इस समय परिवादी श्री कंवरलाल पुत्र श्री शंकरराम जाति मेघवाल उम्र 36 साल निवासी 168, शहीद मेघंसिह नगर गोपालसर तहसील बालेसर जिला जोधपुर ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर में उपस्थित होकर एक हस्त लिखित रिपोर्ट मन् चक्रवर्ती सिंह राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रश्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर के समक्ष इस आशय की पेष की कि " मैं कंवरलाल पुत्र श्री शंकरराम जाति मेघवाल 168, शहीद मेघंसिह नगर गोपालसर तहसील बालेसर जिला जोधपुर में निवास करता हूं मै बालेसर में ई-मित्र संचालक हूं। ई मित्र संचालक के लिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी इसलिए मैनें चरित्र प्रमाण पत्र बनवानें हेतु आवेदन किया था। थाना बालेसर के हैड कास्टेबल वचनाराम का मेरे पास फोन आया और बोला कि मै चरित्र प्रमाण पत्र जारी करवा दूंगा इसकी एवज में मुझे 5000 रूपयें देने पडेगे। फिर मैन जब कहा 5000 रूपयें मेरे लिए बहुत ज्यादा है इतनें रूपये नही दे पाउगा तो उसने कहा कि कम से कम 2000 रूपयें देनें पडेगे नही तो काम नही होगा, इस प्रकार वह मेरा चरित्र प्रमाण पत्र जारी करनें के लिए 2000 रूपयें मांग रहा है। मै मेरे जायज काम के लिए विचनाराम को रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं बल्कि उसकों रिश्वत लेतें हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी हैड कानिस्टेबल वचनाराम से न कोई पुरानी रंजिश है और न ही कोई पुराना लेन देन बकाया है। कृपया करके कानूनी कार्यवाही करनें की कृपा करे। " मजीद दरियाफत् पर परिवादी ने बताया कि उक्त हस्त लिखित रिपोर्ट मैंने लिखी है तथा उक्त रिपोर्ट में अंकित समस्त तथ्य सही होना बताया। हस्त लिखित रिपोर्ट व मजीद दरियाफती से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोंधित 2018) का होना पाया जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से कार्यालय के श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक को कार्यालय कक्ष में तलब कर उसका परिचय परिवादी श्री कंवरलाल से करवाया गया। दोनों के मोबाईल नम्बर एक दुसरे को आदान प्रदान कराये गये। कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वॉयस रिकार्डर निकाल कर उसको चालु करने, बन्द करने की प्रक्रिया परिवादी श्री कंवरलाल को समझायी गई। वक्त 05.50 पी. एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर आवश्यक हिदायत के साथ कार्यालय के श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक कों कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवानें हेतु परिवादी श्री कंवरलाल के साथ बालेसर के लिए रवाना किया गया। दिनांक 21.08.2024 वक्त 10.15 ए.एम. पर श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक कार्यालय में उपस्थित आया और कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपर्द कर बताया कि "मै व परिवादी श्री कंवरलाल कल दिनांक 20.08.2024

कों कार्यालय से रवाना होकर प्राईवेट बस से 8 पी.एम. के आसपास बालेसर पहुंचे। जहां पर मैनें परिवादी श्री कंवरलाल के मोबाईल नम्बर सें वचनाराम हैड कानि. के मोबाईल नम्बर पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर कॉल करवाया तों वचनाराम हैड कानि. नें परिवादी को बताया कि मै रामदेवरा गया हुआ हूं। इसलिये सुबह बात करेगे। उक्त वार्ता कों डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर पुनः डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ कर अपनें पास सुरक्षित रखा। जिसके हालात मन् कनिष्ठ सहायक द्वारा श्रीमान कों दिनांक 20.08.2024 को समय 08.20 पी.एम. पर जरिये मोबाईल हालात अर्ज किये गये थे। श्रीमान द्वारा मुझे बालेसर में ही गोपनीय स्थान पर रात्रि विश्राम करनें तथा परिवादी कों कार्यवाही की गोपनीयता बनायें रखनें की हिदायत व सुबह आनें की हिदायत देकर रूखस्त किया गया। इसके बाद मैनें बालेसर में ही गोपनीय स्थान पर रात्रि विश्राम किया। आज दिनांक सुबह 08 ए.एम. पर परिवादी श्री कंवरलाल बालेसर कस्बे में बस स्टैण्ड के पास उपस्थित आया। इसके बाद मैनें परिवादी श्री कंवरलाल के मोबाईल नम्बर ें वचनाराम हैड कानि. के मोबाईल नम्बर पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर कॉल करवाया तों वचनाराम हैड कानि. ने परिवादी को बताया कि थानें पर मिलनें का कहा। इसके बाद मैनें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में उक्त वार्ता की रिकॉर्डिंग कर पुनः परिवादी को डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर ऑन कर पुलिस थाना बालेसर में आरोपी श्री वचनाराम हैड कानि. से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु समय 8.10 ए.एम. पर रवाना किया गया और मन् कनिष्ठ सहायक अपनी उपस्थिति छिपा कर थानें के आसपास ही मुकीम रहा। इसके बाद समय 08.21 ए.एम. पर परिवादी पुनः मेरे पास आया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मुझे सुपर्द किया। जिसकों मैनें स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी नें मुझे बताया कि हैड कानि. वचनाराम से मेरी मांग सत्यापन वार्ता हो गई है। हैड कानि. वचनाराम सें मेरे चरित्र प्रमाण पत्र जारी करनें की एवज में 2000 रूपयें की मांग की गई हे। जिस पर मन् कनिष्ठ सहायक द्वारा श्रीमान को जरिये मोबाईल हालात अर्ज किये गये। श्रीमान द्वारा मन् कनिष्ठ सहायक कों परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दिनांक 22.08.2024 को कार्यालय में उपस्थित आनें की हिदायत मुनासिब कर बालेसर में ही छोड कर मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर स्वीच शुदा के श्रीमान के समक्ष उपस्थित आया हूं।" इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर को ऑन कर परिवादी श्री कंवरलाल व आरोपी श्री वचनाराम हैड कानि. पुलिस थाना बालेसर के बीच हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वा०ार्ता कों सुनने व श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक के बतायें गये तथ्यों से परिवादी श्री कंवरलाल से आरोपी श्री वचनाराम हैड कानि. पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र बनानें की एवज में 2000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट व रिश्वति राशि मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता से मामला भ्रश्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का होने से परिवादी के प्रार्थना पत्र पर टेªप कार्यवाही करनें का निर्णय लिया गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षित अपनी अभिरक्षा में रखा गया। आईन्दा फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जावेगी। वक्त 06.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम गोपनीय कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने पर दो स्वतन्त्र. गवाह उपलब्ध करवाने हेतु एक पत्र श्रीमान जिला रसद अधिकारी जोधपुर के नाम जारी कर कार्यालय पत्रांक 2822 दिनांक 21.08.2024 को जरिये वाटसअप जिला रसद अधिकारी जोधपुर को प्रेषित करवाया गया। जिला रसद अधिकारी को दो स्वतन्त्र गवाह समय 7 ए.एम. पर दिनांक 22.08.2024 को गवाह को कार्यालय में भिजवानें हेतु पाबन्द किया गया। कार्यालय में उपस्थित सभी ब्यूरों स्टाफ व अधिकारीगण को दिनांक 22.08.2024 को समय 7 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होनें हेतु पाबन्द किया गया। श्री दिलीप कुमार कानि. नम्बर 267 एडीपी कार्यालय एसीबी जोधपुर व श्री रामकिशोर कानि. नम्बर 13 एसीबी चौकी जोधपुर ग्रामीण को ब्यूरों की गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय में दिनांक 22.08.2024 को समय 7 ए.एम. पर उपस्थित होने हेतु निर्देशानुसार निर्देशित किया गया। दिनांक 22.08.2024 वक्त 07.00 ए.एम. पर परिवादी श्री कंवरलाल पूर्व से पाबन्द शुदा 2000 रूपयें रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित आया। जिला रसद अधिकारी जोधपुर के कार्यालय से दो स्वतन्त्र गवाह श्री नवीन शेखावत सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री महिपाल सिंह राठौड वरिष्ठ सहायक उपस्थित आये।श्री दिलीप कुमार कानि. नम्बर 267 एडीपी कार्यालय एसीबी व श्री रामकिशोर कानि. नम्बर 13 एसीबी चौकी जोधपुर ग्रामीण पूर्व से पाबन्द शुदा हाजिर आये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरों की उक्त गोपनीय कार्यवाही हेतु श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस को अपनें कार्यालय कक्ष में तलब कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस का परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाह से परिचय करवाया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित पत्रावली, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी व आरोपी श्री वचनाराम हैड कानि. के बीच रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताए रिकॉर्ड है, कों सुपर्द किया गया। वक्त 07.05 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस नें परिवादी श्री कंवरलाल की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। परिवादी की रिपोर्ट के सम्बन्ध मे परिवादी श्री कंवरलाल से पूछताछ की गई। परिवादी श्री कंवरलाल द्वारा रिपोर्ट स्वयं के हस्तलिखित होना व रिपोर्ट में अंकित तथ्य सही होना बताया। परिवादी श्री कंवरलाल व दोनों स्वतन्त्र गवाह का आपस में परिचय करवाया गया । उक्त दोनों स्वतन्त्र गवाह से मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस द्वारा परिचय पुछा तो उन्होने बारी-बारी से अपना परिचय

श्री नवीन शेखावत पुत्र श्री पीरसिंह जी जाति राजपूत उम्र 53 साल निवासी मकान नम्बर 64, अजीत कॉलोनी, रातानाडा पुलिस थाना रातानाडा जिला जोधपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी जोधपुर प्रथम, मोबाईल नम्बर 9414137080 एवं श्री महिपाल सिह राठौड पुत्र श्री डूंगरसिंह राठौड जाति राजपूत उम्र 33 साल निवासी मकान नम्बर 19, सुषवाणी माता कॉलोनी मण्डोर पुलिस थाना मण्डोर जिला जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला रसद अधिकारी जोधपुर प्रथम, मोबाईल नम्बर के रूप में दिया। दोनो कार्मिको को बुलाने के मन्तव्य से अवगत कराकर परिवादी कंवरलाल द्वारा दिनांक 20.08.2024 को प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट का अवलोकन करवाया गया एवं श्री परिवादी कंवरलाल व आरोपी वचनाराम हैड कानि. पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण के मध्य दिनांक 21.05.2024 को हुई रिश्वति राषि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है के मुख्य-मुख्य मांग अंश को सुनाया गया। दोनो कार्मिकों द्वारा परिवादी की रिपोर्ट पढकर परिवादी से तसली से पुछताछ कर एवं रिश्वति राशि मांग सत्यापन की रिकार्ड वार्ता के मुख्य मुख्य अंश सुनकर ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की मौखिक सहमति दी तथा परिवादी श्री कंवरलाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। उक्त रिकार्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया जाकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। रिकार्डर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। वक्त 07.45 ए.एम. पर दोनों गवाहान के रूबरू परिवादी कंवरलाल पुत्र श्री शंकरलाल जाति मेघवाल 168 शहीद मेघसिंह नगर गोपालसर तहसील बालेसर जिला जोधपुर द्वारा रिश्वत में दी जानें वाली राशि पेश करनें हेतु कहा गया जिस पर परिवादी श्री कंवरलाल नें भारतीय मुद्रा के 500 रूपयें के कुल 02 नोट, 100 रूपयें के कुल 10 नोट कुल राशि 2000 रूपयें पेश किये। जिस पर श्री गणेश पंवार वरिष्ठ सहायक से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई गई। जिस पर श्री गणेश पंवार वरिष्ठ सहायक नें मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी लेकर आयें तथा उक्त 2000 रूपये के नोटो पर गणेश कुमार वरिष्ठ सहायक से अखबार के उपर रखकर नोटो पर हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री कंवरलाल की जामा तलाषी गवाह श्री नवीन शेखावत से लिवाई जाकर मोबाईल फोन नम्बर परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 2000 रूपये जो श्री वचनाराम हैड कानि. को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी कंवरलाल के पहने हुए पायजामें के बांयी जेब में श्री गणेश पंवार वरिष्ठ सहायक से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री कंवरलाल को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। टेªप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर या मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. पर रिश्वती राशि आदान-प्रदान होने की सूचना करें। तत्पश्चात् एक साफ प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री गणेश पंवार वरिष्ठ सहायक के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया । सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर पाउडर लगाने वालें श्री गणेश पंवार वरिष्ठ सहायक से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को नष्ट किया जाकर जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वालें श्री गणेश पंवार वरिष्ठ सहायक से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। फिनोफथलीन पाउडर लगानें वालें श्री गणेश पंवार को कार्यालय में ही छोडकर रवाना हुए। फर्द पेशकसी मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 08.40 ए.एम. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री चक्रवर्ती सिह राठौड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री भंवरलाल हैड कानि. नम्बर 100, श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29, श्री भूरंसिह हैड कानि. नम्बर 91, श्री दिलीप कानि. नम्बर 267, श्री रामकिशोर कानि. नम्बर 13, श्री भरत डूकिया कनिश्ठ सहायक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान मय परिवादी श्री कंवरलाल सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 3352 मय चालक श्री प्रेमसिह कानि. एवं एवं निजी वाहन कें ब्यूरों के ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर, परिवादी के प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित पत्रावली सहित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों चौकी जोधपुर से बालेसर के लिए रवाना हुए । वक्त 10.42 ए.एम. पर उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा वक्त 10.12 ए..एम. पर बालेसर कस्बे में पहुंचे। जहां पर परिवादी के मोबाईल नम्बर से आरोपी के मोबाईल नम्बर पर परिवादी के मोबाईल फ़ोन का स्पीकर ऑन करवाकर ब्यूरों का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री भरत डूकिया से ऑन करवाकर वार्ता करवाई गई। जिस पर आरोपी श्री वचनाराम हैड कानि. नें बालेसर कस्बे के बाहर स्थित शहीद श्री भंवरसिह इन्दा के बोर्ड के पास आनें को कहा।

उक्त वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकॉर्ड किया गया। वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जावेगी। जिस पर परिवादी को उसकी सायर इण्डियन ऑयल फिलीग स्टेशन पर पूर्व से खडी मोटर साईकिल व चाबी सहित आरोपी श्री वचनाराम हैड कानि. के पास श्री भरत डूकिया को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर देकर मोटर साईकिल से भरत डूकिया के साथ परिवादी को रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस भी पीछे पीछे मय ब्यूरों जाब्ता व निजी वाहन के रवाना हुए। शहीद भंवरसिह ईन्दा के बोर्ड के आसपास गोपनीय रूप से अपनी उपस्थिति छिपा कर परिवादी के ईशारें के इन्तजार में मुकीम रहे । वक्त 10.30 ए. एम पर परिवादी श्री कंवरलाल द्वारा पूर्व से निर्धारित गोपनीय ईशारा अपनें सिर पर एक हाथ फेर कर मन् निरीक्षक पुलिस को किया। जिस पर हमराहीयान मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान सहित परिवादी के पास पहुंचकर परिवादी के पास खडे आरोपी को दस्तयाब किया गया और परिवादी से डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ किया। उक्त वार्ता की आईन्दा रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष फर्द ट्रासंक्रिप्ट मूर्तिब की जावेगी। परिवादी श्री कंवरलाल नें रूबरू गवाहान व ब्यूरो स्टाफ के मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि यही श्री वचनाराम हैड कानि. है, जिसनें मेरे से मेरे चरित्र प्रमाण पत्र जारी करनें की एवज में मेरे से अभी अभी 2,000 रूपयें रिश्वती राशि दाहिनें हाथ से प्राप्त कर अपनी पहने हुई काले रंग की पेन्ट की दाहिनी जेब में रखें है। जिस पर मौके पर तिराहे पर भीडभाड हो जानें के कारण कार्यवाही होना संभव नही होनें के कारण आरोपी को दस्तयाब कर दोनों हाथ ब्यूरों स्टाफ से पकडवाकर सरकारी वाहन में बिठाकर मय हमराहीयान के पुलिस थाना बालेसर के लिए रवाना हुआ। समय 10.40 ए.एम. पर पुलिस थाना बालेसर पहुंचे। पुलिस थाना बालेसर के मुख्य गेट पर सन्तरी उपस्थित मिला। जिसे उसका नाम पूछा तो श्री हेमन्त कानि. बताया। ड्यूटी अधिकारी के बारें में पूछनें पर बताया कि यही राजकार्य में व्यस्त है। जिस पर श्री हेमन्त कानि. को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा ब्यूरों की गोपनीय कार्यवाही हेतु थाना परिसर में करनें हेतु अवगत कराया गया। इसके बाद ब्यूरों की गोपनीय कार्यवाही हेतु थाने के अन्दर स्वागत कक्ष में प्रवेश हुए और आरोपी श्री वचनाराम हैड कानि. को ब्यूरों स्टाफ श्री भूरसिह हैड कानि. व श्री दिलीप कानि. से दोनो हाथ पकडवाकर कुर्सी पर बिठाया गया। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस नें आरोपी से उसका परिचय पूछनें पर अपना नाम श्री वचनाराम पुत्र श्री वागाराम जाति भील उम्र 38 साल निवासी परमार की ढाणी, भीनमाल तहसील भीनमाल जिला सांचोर हाल हैड कानि. नम्बर 157 पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीणहोना बताया। जिस पर रूबरू स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरों जाब्ता के समक्ष आरोपी श्री वचनाराम की जामा तलाशी श्री महिपाल सिह राठौड सें लिरवाई गई तो आरोपी के पहनी हुई कालें रंग की पेन्ट की दाहिनी जेब में से एक प्लास्टिक थैली में कुछ रूपयें व एवं अन्य रूपयें भी मिले। इसके बाद अन्य रूपयों को गिनवाया गया तों 500-500 रूपयें के 2 नोट व 100-100 रूपये के कुल 10 नोट कुल 2000 रूपयें मिले।जिसकों गवाह श्री नवीन शेखावत सें पूर्व में तैयार फर्द पेशकसी कों सुपर्द कर उक्त राशि का बोल बोल कर गवाह श्री महिपाल सिह राठौड सें मिलान करवाया गया तों फर्द पेशकसी के अनुसार उक्त राशि का विवरण निम्न प्रकार है। 1 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 CT 770166 2 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 CT 770165 3 100 रूपये का एक नोट नम्बर 8 QA 239587 4 100 रूपये का एक नोट नम्बर 0 CE 279127 5 100 रूपये का एक नोट नम्बर 9 GG 323963 6 100 रूपये का एक नोट नम्बर 2 FR 880348 7 100 रूपये का एक नोट नम्बर 9 KE 071526 8 100 रूपये का एक नोट नम्बर 4 UG 126982 9 100 रूपये का एक नोट नम्बर 4 UG 126983 10 100 रूपये का एक नोट नम्बर 4 UG 126984 11 100 रूपये का एक नोट नम्बर 4 UG 126985 12 100 रूपये का एक नोट नम्बर 4 UG 126986 उक्त भारतीय मुद्रा 2,000/-को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस नें आरोपी श्री वचनाराम हैड कानि. सें पूछा कि आप क्या इनकों जानतें हो क्या। तो आरोपी नें कहा कि ये कंवरलाल है। इनके खिलाफ थानें में प्रकरण संख्या 156 दर्ज हो रखा है। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस नें आरोपी से पूछा कि आपनें पैसें किस बात के लिये तों आरोपी निरूत्तर रहा और कुछ देर बाद बोला कि तफ्तीश के लिए लियें है। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस नें आरोपी से पूछा कि कल आपकी क्या बात हुई थी। आपनें सत्यापन में पैसे लिये या नही लिये। तो आरोपी नें लेने से मना किया। इसके बाद परिवादी श्री कंवरलाल नें बताया कि मेरे से 5000 रूपयें मांगे थे। तो मैने कहा कि मै तों गरीब आदमी हू। मैरे पास 5000 नही है। इसके बाद इन्होनें बोला कि कम से कम 2000 रूपयें दो। फिर मैनें आज 2000 रूपयें दिये। मन् निरीक्षक पुलिस नें परिवादी श्री कंवरलाल सें पूछा कि आपसे आरोपी नें किस बात के पैसे मांगे। तो परिवादी नें बताया कि चरित्र प्रमाण पत्र जारी करनें के लिए मांगे तथा धाराए नही लिखूगा। जबकि मेरे कोई धाराए थी ही नही। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री कंवरलाल व ब्यूरों जाब्ता के रूबरू सरकारी वाहन में से ट्रेप बाक्स मंगवाकर आरोपीश्री वचनाराम हैड कानि. पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण के हाथ धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से एकप्लास्टिक के गिलास निकाल कर उक्त प्लास्टिक के गिलास कों स्वागत कक्ष में रखे पानी के वाटर कूलर सें साफ पीने का पानी कों स्टील की गिलास में भरवाया गया। उक्त प्लास्टिक गिलास में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर हिलाया गया तो प्लास्टिंक गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री वचनाराम हैड कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग हल्का

गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स में से एक प्लास्टिक के गिलास निकाल कर उक्त प्लास्टिक के गिलास कों स्वागत कक्ष में रखे पानी के वाटर कूलर सें साफ पीने का पानी कों स्टील की गिलास में भरवाया गया। उक्त प्लास्टिक गिलास में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर हिलाया गया तो प्लास्टिक गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री वचनाराम हैड कानि. के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच. -2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् रिश्वति राशि बरामदगी स्थान आरोपी के पहनी हुई कालें रंग की पेन्ट का धोवन लिया जाना आवश्यक होनें के कारण आरोपी के पहननें के लिए पेन्ट की व्यवस्था की जाकर आरोपी श्री वचनाराम हैड कानि. के पहनी हुई कालें रंग की पेन्ट कों उतरवाया जाकर दूसरी पेन्ट पहनवाई गई। उक्त कालें रंग की पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब जहां से रिश्वति राशि बरामद हुई, का धोवन लेने हेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री कंवरलाल एवं ब्यूरों जाब्ता के रूबरू एक प्लास्टिक गिलास में पुलिस थाना बालेसर के स्वागत कक्ष में रखें हुए वाटर कूलर से स्टील की गिलास से उक्त प्लास्टिक के गिलास को पानी से भरवाया गया। उक्त प्लास्टिक के गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालनें पर उक्त गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। आरोपी के पहनी हुई कालें रंग की पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब को उल्टा करवाकर जेब का धोवन उक्त तैयार घोल के गिलास में डूबोकर लिया गया तों धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल के रंग कों गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित किया गया। उक्त काले रंग की पेन्ट जिसके आगे की दाहिनी जेब से रिश्वति राशि बरामद हुई है, उक्त सम्बन्धित स्थान पर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर उक्त कालें रंग की पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में डलवाकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर थैली को शील्ड मोहर कर मार्क पी अंकित किया गया। आरोपी श्री वचनाराम हैड कानि. पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण की जामा तलाशी गवाह श्री महिपाल सिंह से लिरवाई गई तों पहनें हुए शर्ट की बांयी जेब में एक रियलमी कम्पनी का मोबाईल जिसके आईएमईआई नम्बर 1. 861743046460 2112. 861743046460229 जिसमें एक एयरटेल कम्पनी की सिम नम्बर होना पाई गई। उक्त मोबाईल फोन कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरों लिया गया।इसके अतिरिक्त आरोपी श्री वचनाराम हैड कानि. के पास कोई वस्तु, राशि व दस्तावेज कब्जा ब्यूरों नही लिया गया। परिवादी श्री कंवरलाल के पुलिस थाना बालेसर पर चरित्र सत्यापन के पैण्डिग कार्य हेतु थानाधिकारी बालेसर से जानकारी प्राप्त की गई तों थानाधिकारी द्वारा अपनें कार्यालय पत्रांक 1534 दिनांक 22.08.2024 के द्वारा अवगत कराया कि श्री कंवरलाल पुत्र. श्री शकरलाल मेघवाल निवासी शहीद मेघंसिह नगर गोपालसर जिला जोधपुर का चरित्र सत्यापन रेफरेन्स नम्बर 4857477 दिनांक 13.08.2024 को थाना पर ऑनलाईन प्रास हुआ था। जिसका पुलिस थानें पर चरित्र सत्यापन रजिस्टर के क्रमांक 586 दिनांक 13.08.2024 को इन्द्राज कर जांच हेतु श्री वचनाराम हैड कानि. नम्बर 157 द्वारा की गई। बाद जांच दिनांक 13.08.2024 को ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक कार्यालय जोधपुर ग्रामीण को प्रेषित किया गया। चरित्र सत्यापन रिपोर्ट रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की गई। उक्त थानाधिकारी बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण के पत्र व चरित्र सत्यापन रिपोर्ट रजिस्टर की प्रमाणित प्रति शामिल रनिंग नोट की गई। अब तक की कार्यवाही से श्री वचनाराम पुत्र श्री वागाराम जाति भील उम्र 38 साल निवासी परमार की ढाणी, भीनमाल तहसील भीनमाल जिला सांचोर हाल हैड कानि. नम्बर 157 पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई एवं दौराने कार्यवाही अन्य कोई दस्तावेज, वस्तु कब्जा ब्यूरो नहीं ली गई। आरोपी श्री वचनाराम पुत्र श्री वागाराम जाति भील उम्र 38 साल निवासी परमार की ढाणी, भीनमाल तहसील भीनमाल जिला सांचोर हाल हैड कानि. नम्बर 157 पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण को गिरफ्तारी के कारणो से अवगत करवाया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जायेगी। उक्त बरामदगी कार्यवाही की विडियोग्राफी मोबाईल से करवाई गई। जिसका आईन्दा मोबाईल से सीडी बनाई जावेगी। वक्त 04.20 पी. एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री वचनाराम पुत्र श्री वागाराम जाति भील उम्र 38 साल निवासी परमार की ढाणी, भीनमाल तहसील भीनमाल जिला सांचोर हाल हैड कानि. नम्बर 157 पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण को किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उनके कहेनुसार पुलिस थाना बालेसर पर मौके पर उपस्थित उसके सगे भाई श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री वागाराम जाति भील उम्र 29 वर्ष निवासी परमार की ढाणी, भीनमाल तहसील भीनमाल जिला

सांचोर को रूबरू दी गई। जामा तलाशी में आरोपी के पास मिली राशि 1240 रूपयें व पहचान कार्ड आदि आरोपी के भाई श्री महेन्द्र कुमार को सुपर्द किये गये। वक्त 04.45 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस नें आरोपी श्री वचनाराम हैड कानि. के पुलिस थाना बालेंसर के बेरिक में रहनें वालें आवास की खाना तलाशी हेतु प्रादर्श ईत्यादि श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को सुपर्द कर रूबरू गवाहान व आरोपी के रूबरू बेरिक की खाना तलाशी ली गई। खाना तलाशी में कोई भी संदिग्ध वस्तु, कीमति सामन, नकद राशि ईत्यादि नही मिली। फर्द नियमानुसार तैयार कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। खाना तलाशी की विडियोग्राफी मोबाईल से करवाई गई। वक्त 04.55 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस परिवादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका मूर्तिब करनें हेतु मय परिवादी श्री कंवरलाल व दोनो स्वतन्त्र गवाहान के सरकारी वाहन मय चालक श्री प्रेमसिंह के घटना स्थल शहीद भंवरसिह बोर्ड तिराहा के लिए आरोपी श्री वचनाराम हैड कानि. व जब्त शुदा प्रादर्श श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. को सुपर्द कर रवाना हुआ। वक्त 05.25 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस परिवादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका मूर्तिब रूबरू गवाहान के समक्ष मूर्तिब कर पुलिस थाना बालेसर उपस्थित हुआ। नक्शा मौका घटना स्थल शामिल रंनिग नोट किया गया। आरोपी श्री वचनाराम हैड कानि. व जब्त शुदा प्रादर्श अपनें कब्जें में सुरक्षित प्राप्त किये गये। वक्त 05.45 पी.एम. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री चक्रवर्ती सिह राठौड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री भंवरलाल हैड कानि. नम्बर 100, श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29, श्री भूरसिह हैड कानि. नम्बर 91, श्री दिलीप कानि. नम्बर 267, श्री रामकिशोर कानि. नम्बर 13, श्री भरत डूकिया कनिश्ठ सहायक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान मय परिवादी श्री कंवरलाल सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 3352 मय चालक श्री प्रेमसिह कानि. एवं एवं निजी वाहन कें ब्यूरों के ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर,परिवादी के प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित पत्रावली, बरामद शुदा रिश्वत राशि 2000 रूपयें सिल चिट शुदा, प्रादर्श आर.एच. 1, आर. एच. 2, एल.एच.1, एल.एच. 2, पी.1, पी. 2, रिश्वत राशि बरामद स्थान आरोपी के कालें रंग की पेन्ट का शील्ड शुदा कपडे की थैली में शील्ड प्रादर्श पी, आरोपी का रियलमी कम्पनी का मोबाईल फोन मय सिम सहित पुलिस थाना बालेसर से एसीबी चौकी जोधपुर के लिए रवाना हुए। वक्त 07.15 पी.एम. पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के एसीबी चौकी जोधपुर पहुंचा। प्रकरण से संबंधित शील्ड सुदा प्रार्दश बरामद शुदा रिश्वत राशि 2000 रूपयें सिल चिट शुदा, प्रादर्श आर.एच. 1, आर. एच. 2, एल.एच.1, एल.एच. 2, पी.1, पी. 2, रिश्वत राशि बरामद स्थान आरोपी के कालें रंग की पेन्ट का शील्ड शुदा कपडे की थैली में शील्ड प्रादर्श पी, आरोपी का रियलमी कम्पनी का मोबाईल फोन मय सिम को मालखाना प्रभारी श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राज करवाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक आरोपी एवं परिवादी के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वति राशि लेन देन वार्ता रिकॉर्ड हैं उक्त रिकॉर्डर को मन निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा मे रखा। स्वतन्त्र गवाहान तथा परिवादी श्री कंवरलाल तथा ब्यूरों स्टाफ को प्रातः 08.30 ए.एम. पर कार्यालय में आने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया। वक्त 07.30 पी.एम. पर आरोपी श्री वचनाराम हैड कानि. का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने एंव बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना उदयमन्दिर की सुरक्षित हवालात में जमा कराने हेतु चिकित्सा प्रभारी, सैटेलाईट अस्पताल पावटा जोधपुर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमन्दिर के नाम पृथक-पृथक तहरीर लिखकर मन श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता श्री भूरसिंह हैड कानि. नम्बर 92, श्री दिलीप कानि. नम्बर 267, मय सरकारी वाहन कानि. चालक श्री प्रेमसिंह नं. 535 के राजकीय सैटैलाईट अस्पताल पावटा के लिये आरोपी श्री वचनाराम हैड कानि. को लेकर रवाना हुआ। वक्त 08.30 पी.एम. पर मन् श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता श्री भूरसिह हैड कानि. नम्बर 92 श्री दिलीप कानि. नम्बर 267 मय सरकारी वाहन कानि. चालक श्री प्रेमसिंह नं. 535 आरोपी श्री वचनाराम हैड कानि. का बाद मेडीकल परीक्षण करवाकर एवं आरोपी को पुलिस थाना उदयमन्दिर में हवालात में जमा करवा कर हाजिर आये। स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट व प्राप्ति रसीद शामिल पत्रावली की गई। पुलिस थाना उदयमन्दिर पर निगरानी हेतु श्री भीमसिंह कानि. नम्बर 446 कों मामूर कर हाजिर आये। दिनांक 23.08.2024 वक्त 08.30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहन श्री नवीन शेखावत व श्री महिपाल सिह राठौड एवं परिवादी श्री कंवरलाल कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। वक्त 08.35 ए.एम. पर परिवादी श्री कंवरलाल एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में दिनांक 20.08.2024 को परिवादी श्री कंवरलाल एवं आरोपी श्री वचनाराम हैड कानि. पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता, दिनांक 21.08.2024 को परिवादी श्री कंवरलाल व आरोपी श्री वचनाराम हैड कानि. के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता व दिनांक 21.08.2024 कों परिवादी श्री कंवरलाल व आरोपी श्री वचनाराम हैड कानि. के मध्य रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर कों मन् निरीक्षक पुलिस नें सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालापों को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वति राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर

में रिकार्ड वार्ताओं में एक आवाज परिवादी श्री कंवरलाल ने अपनी व दुसरी आवाज आरोपी श्री वचनाराम हैड कानि. की होना बताया। उक्त वार्तालापों की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन डब सीडीयां तैयार की। एक सीडी को मूल मानतें हुए कपडे की थैली में शील्ड मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षकर करवाये गये। दो डब सीडीया में से एक डब सीडी आरोपी व एक डब सीडी अनुसंधान अधिकारी के लिए तैयार की गई। दो डब सीडीयों को खुला ही रहने दिया गया। उक्त मूल सीडी जो कपडे की थैली में शील्ड शुदा है एवं दो डब सीडीयों को मालखाना प्रभारी श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। वक्त 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री कंवरलाल एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में दिनांक 22.08.2024 को परिवादी श्री कंवरलाल एवं आरोपी श्री वचनाराम हैड कानि. पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता, दिनांक 22.08.2024 को परिवादी श्री कंवरलाल व आरोपी श्री वचनाराम हैड कानि. के मध्य रूबरू रिश्वत राशि लेन देन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर कों मन् निरीक्षक पुलिस नें सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालापों को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वति राशि लेन देन रूबरू वार्ता तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ताओं में एक आवाज परिवादी श्री कंवरलाल ने अपनी व दुसरी आवाज आरोपी श्री वचनाराम हैड कानि. की होना बताया। उक्त वार्तालापों की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन डब सीडीयां तैयार की। एक सीडी को मूल मानतें हुए कपडे की थैली में शील्ड मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षकर करवाये गये। दो डब सीडीया में से एक डब सीडी आरोपी व एक डब सीडी अनुसंधान अधिकारी के लिए तैयार की गई। दो डब सीडीयों को खुला ही रहने दिया गया। उक्त मूल सीडी जो कपडे की थैली में शील्ड शुदा है एवं दो डब सीडीयों को मालखाना प्रभारी श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। वक्त 12.15 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान बरामदगी रिश्वत राशि एवं फर्द खाना तलाशी मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन से विडियोंग्राफी की गई थी। जिसकी कार्यालय के कम्प्युटर से श्री गणेशराम पंवार वरिष्ठ सहायक से डीवीडी तैयार करवाई जाकर मालखाना प्रभारी श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को जमा मालखाना की गई। अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री कंवरलाल की रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में दिनांक 21.08.2024 को रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाया गया तो आरोपी श्री वचनाराम हैड कानि.नम्बर 157 पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण ने परिवादी श्री कंवरलाल के चरित्र सत्यापन बनानें की एवज में 2,000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग करना व दिनांक 22.08.2024 कों 2,000 रूपयें रिश्वत राशि लेतें हुए रंगे हाथो गिरफ्तार करना, रूबरू गवाहान के रिश्वति राशि आरोपी के पहनी हुई काले रंग की पेन्ट की दाहिनी जेब सें बरामद होना, आरोपी के दोनों हाथों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी आना, पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब का धोवन गहरा गुलाबी प्राप्त होना, पुलिस थाना बालेसर पर परिवादी श्री कंवरलाल के चरित्र सत्यापन हेतु दिनांक 13.08.2024 को थाना पर प्राप्त होना, थानाधिकारी द्वारा आरोपी हैड कानि श्री वचना राम को जांच हेतु देना व पुलिस थाना बालेसर के चरित्र सत्यापन रजिस्टर से ताईद होना ईत्यादि कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का जुर्म प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। अतः आरोपी श्री वचनाराम पुत्र श्री वागाराम जाति भील उम्र 38 साल निवासी परमार की ढाणी, भागलभीम भीनमाल तहसील व थाना भीनमाल जिला जालोर हाल हैड कानि. नम्बर 157 पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण का कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में दण्डनीय होने से इनके विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है। (मनीष वैष्णव) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर.........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुरने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री वचनाराम पुत्र श्री वागाराम जाति भील उम्र 38 साल निवासी परमार की ढाणी, भागलभीम, भीनमाल तहसील व थाना भीनमाल जिला जालोर हाल हैड कानि नम्बर 157 पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्रीमती सुनीता, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर शहर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 346पर अंकित है। (ज्ञान सिहं चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 949-52 दिनांक 23.08.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर। 2 पुलिस अधीक्षक, जिला जोधपुर ग्रामीण। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** SUNITA KUMARI **Rank (पद):** निरीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 2[illegible]/2024 1[illegible]8

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	10/12/1986				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)